

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

25/11/2020 न्यायालय उपखण्ड/पीठासीन अधिकारी
 प्रथम है। गतानुसार दिनांक.....को पेश है
 29-1-20

29/1/20

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय उपखण्ड
 प्रकरण में मूल याच सु नं० 1298/2020
 याचक बलवीर बज्जाम राजनीर उमरब
 कमील की कहानी में मूल याचक
 है जोर पर प्रकरण सु नं० 751/2020
 ए.ए. बलवीर बज्जाम राजनीर का आगे
 चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः
 प्रकरण सु नं० 751/2020 ए.ए. बलवीर
 बज्जाम राजनीर में जारी इनमान बरिद
 दि० 19-8-2020 को खारिज किया जा
 है। पत्रावली के सब सु नं० 751/2020
 में लगे हैं।

29/01/20
 उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (करोली)

